अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 21/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 921(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) और और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 817 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

क. अनुसूची I – 5% में, क्र.सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II – 12% में, क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"171 क1	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो।"

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 8 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 893(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

No. 21/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 921(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2021-Intergated Tax (Rate), dated the 18th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 817(E), dated the 18th November, 2021, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

a. in Schedule I – 5%, serial number 225 and the entries relating thereto shall be omitted;

b. in Schedule II – 12%, after serial number 171 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

"171A1	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair."

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

[F. No. 354/79/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 18/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 28th December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 893(E), dated the 28th December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सं. 21/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 922(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 818 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

क. अनुसूची I – 2.5% में, क्र.सं. 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II – 6% में, क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"171 क1	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक न हो ।"

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी ।

[फा. सं. 354/79/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021, जिसे सा.का.नि. 894(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।